उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-62/2017/559/37-1-2017-3(5)/2017

लखनऊः दिनांक 17 अक्टूबर, 2017

<u>कार्यालय-आदेश</u>

ड़ॉ0 अशोक कुमार सिंह, अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग चित्रकूटधाम मंडल, बाँदा के विरूद्व शासन द्वारा बार-बार आदेश दिये जाने के बाद भी घटनाक्रम की एफ0आई0आर0 दर्ज न कराने एवं संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग की जांच आख्या मा0 न्यायालय में समयबद्व रूप से दाखिल न कराने आदि आरोपों के लिये कार्यालय आदेश संख्या- 505/37-3-2016-7(83)/2012 दिनांक 23-8-2016 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये डा0 ए0एन0 सिंह, निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी की जांच आख्या निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग के पत्र संख्या-42/एस0टी0, दिनांक 28-03-2017 द्वारा प्राप्त हुई।

2- जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरांत श्री राज्यपाल, डा0 अशोक कुमार सिंह, अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा के विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना दण्ड के समाप्त किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं।

डा0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-62/2017/559(1)/37-1-2017, तददिनांक,</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- सम्बन्धित अधिकारी, द्वारा- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com